न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 53/2023

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये
प्रवर्तन निरीक्षक, बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी–
श्री हनुमानाराम पुत्र श्री खरताराम जाति जाट, निवासी आसूओं की ढाणी, खुड़ाला जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री केसराराम विश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 12.02.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 20.04.2023 को आरजीटी थानाधिकारी श्री ललित किशोर द्वारा सूचित किया कि मैसर्स होटल हनुमान, खुड़ाला पर अवैध पैट्रोलियम पदार्थ रखे जाने की सूचना दिये जाने पर मै हमराह श्री कंवराराम, जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर एवं श्री दीपक कुल्हार प्रवर्तन निरीक्षक के साथ मैसर्स होटल हनुमान, खुडाला पहुॅचे। मौके पर आरजीटी थानाधिकारी श्री ललित किशोर व श्री पदमाराम कानिस्टेबल बेल्ट नं. 065 मिले। मौके पर होटल मालिक श्री हनुमानराम पुत्र श्री खरताराम उपस्थित मिले एवं उनके सामने होटल हनुमान, खुड़ाला में चार प्लास्टिक ड्रमों को खोल कर देखा गया, चैक किया जाने पर कुल 650 लीटर डीजल भरा हुआ लगा, जिसके संबंध में होटल मालिक से पूछताछ करने पर बताया कि उक्त डीजल पैट्रोल पम्प से खरीद कर अपनी गाडियों मे काम

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:51:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

लेने हेतु रखा है। मौके पर चार प्लास्टिक ड्रमों मे कुल 650 लीटर डीजल आरजीटी थानाधिकारी के हेड कानिस्टेबल बेल्ट नं. 1022 को सुपुर्दगीनामे पर सुरक्षित रखने हेतु जब्त सरकार कर सुपुर्द किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुलजिम हनुमानराम पुत्र खरताराम जाति जाट, निवासी आसूओं की ढाणी, खुड़ाला, जिला बाड़मेर द्वारा बिना लाईसेंस/परमिट के उक्त डीजल अपने कब्जे में रखना, संग्रहण करना तथा विक्रय करना मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना पाये जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रमाणित है। लिहाजा अप्रार्थी हनुमानराम के विरूद्ध यह इस्तगासा पेश कर निवेदन है कि प्रकरण हाजा मय जब्तशुदा 650 लीटर डीजल पदार्थ मय चार प्लास्टिक ड्रमों का नियमानुसार निस्तारण किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त डीजल प्रार्थी ने पेट्रोल पम्प से खरीद कर अपनी गाडी व ट्रेक्टर मे काम लेने हेतु रखा था। अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध ही गठित नहीं होता है क्योंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा CRLMP No. 4279/2018 बुधाराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान आदेश दिनांक 03.01.2019 में अभिनिर्धारित किया गया है कि 2500 लीटर तक डीजल को रखा जाना कोई अपराध नहीं है। अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त परिवाद निरर्थक तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जावे तथा प्रकरण में जब्तशुदा डीजल व चार प्लास्टिक ड्रमों को प्रार्थी स्वामी होने से कब्जे में रखने का अधिकारी है।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पक्षों को सुना। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि अप्रार्थी हनुमानराम पुत्र खरताराम जाति जाट निवासी आसूओं की ढाणी, खुड़ाला जिला बाड़मेर को

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:51:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अवैध रूप से डीजल पदार्थ विक्रय करते हुए पाया गया तथा मौके से चार प्लास्टिक ड्रमों में भरे पदार्थ के बारे में पूछने पर हनुमानराम ने डीजल होना बताया। प्लास्टिक ड्रमों की जांच करने पर कुल 650 लीटर डीजल भरा होना पाया गया। उक्त शख्स से डीजल लाने, कब्जा में रखने व बेचान करने बाबत वैध अनुज्ञापत्र भी नहीं होना पाया गया। इसके जवाब में अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया कि उक्त डीजल प्रार्थी ने पेट्रोल पम्प से खरीद कर अपनी गाडी व ट्रेक्टर मे काम लेने हेतु रखा था। अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध ही गठित नहीं होता है क्योंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा CRLMP No. 4279/2018 बुधाराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान आदेश दिनांक 03.01.2019 को अभिनिर्धारित किया गया है कि 2500 लीटर तक डीजल को रखा जाना कोई अपराध नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी के कब्जे से बरामद किये गये डीजल पदार्थ की मात्रा निर्धारित सीमा के भीतर होने से अप्रार्थी इतना डीजल पदार्थ अपने कब्जे में रखने का अधिकारी होने से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अभिमत के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह परिवाद चलने योग्य होना प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थी द्वारा अपने कब्जे में रखे गये डीजल पदार्थ की मात्रा मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना नहीं पाया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध हों। ऐसे में अप्रार्थी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में तथा तथ्य की भूल के फलस्वरूप दर्ज कराया गया यह प्रकरण काबिल खारिज है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना—पत्र खारिज किया जाता है। प्रकरण में सीजशुदा उक्त 647 लीटर डीजल पदार्थ मय चार प्लास्टिक ड्रमों को कब्जा सरकार से एतद्द्वारा मुक्त किया जाता है। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:51:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

को निर्देशित किया जाता हैं कि जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ मय प्लास्टिक ड्रम अप्रार्थी को सुपुर्द करें।

5. आदेश आज दिनांक 12.02.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:51:08 IST
Reason: SelfAttested